

वन संरक्षण अधिनियम – 1980 अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्रथम चरण की स्वीकृति लेने बाबत प्रस्ताव के साथ वांछित दस्तावेजों का विवरण (चेक लिस्ट)

क्र.	जानकारी का ब्यौरा	संक्षिप्त विवरण	पृ.क्र.
1.	आवेदक संस्थान का नाम	एनएमडीसी लिमिटेड	
2.	आवेदक संस्थान का स्वरूप (Nature)	सार्वजनिक उपक्रम	
3.	आवेदक संस्थान का मांग पत्र		
4.	प्रपत्र-1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)	FP/CG/Others/9380/2015	
5.	स्थान :- (1) राज्य (2) जिला	छत्तीसगढ़ दन्तेवाड़ा	
	वनो का ब्यौरा: (1) प्रभावित वन मंडल का नाम	दन्तेवाड़ा	
6	(2) प्रभावित वन का क्षेत्रफल (अ) आरक्षित वन क्षेत्र — (ब) संरक्षित वन क्षेत्र — (स) नारंगी वन क्षेत्र — (द) राजस्व वन क्षेत्र — योग	7.116 हे0 निरंक निरंक निरंक 7.116 हे0	
	(3) नक्शा	1.डी.जी.पी.एस नक्शा 2. इन्डेक्स नक्शा /एसओआई, टोपोशीट 1:50000 स्केल पर 3. परियोजना का ले आउट नक्शा 4. संरक्षित क्षेत्र दर्शाते हुए 10 कि.मी. रेडियस का नक्शा 5. अन्य (कृपया उल्लेख करें)	10,161 से 163 10,12 171 4 से 7
7	ऑन लाईन जमा किये गये प्रस्तावों का विवरण		
	(1) क्या नोडल कार्यालय को आनलाईन प्रस्तुत एवं अग्रेषित किया गया है ?	हाँ	
	(2) क्या पूर्ण फार्म-ए आनलाईन अपलोड किया गया है ?	हाँ	
	(3) क्या व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र व्यपवर्तन एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए चिह्नांकित क्षेत्रों के के.एम.एल/शेप फाईल को वेबसाईट पर अपलोड किया है ?	हाँ	
	(4) क्या नोडल कार्यालय को आनलाईन प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की हार्ड कापी अग्रेषित की गई है ?	हाँ	
8	फार्म-ए का ब्यौरा:		
	(1) पार्ट-1 (क्या आवेदक संस्था द्वारा पूर्ण	हाँ	

	जानकारी प्रस्तुत की गई है)		
	(2) पार्ट-2 (वन मंडलाधिकारी की विशिष्ट अनुशंसा के साथ में विशिष्ट शर्तें, यदि हो तो कारण सहित)	हाँ	
	(3) पार्ट - 3 (मुख्य वन संरक्षक की विशिष्ट अनुशंसा के साथ में विशिष्ट शर्तें, यदि हो तो कारण सहित)		
9	वन मंडलाधिकारी/वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण का विवरण		
	(1) उप वन संरक्षक का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग-2, प्रपत्र-3)	कंडिका क्रमांक 26 के प्रपत्र -3 में दन्तेवाड़ा वन मंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न कंडिका क्रमांक के 26 के प्रपत्र -3 में संलग्न है।	84 से 93 तक
	(2) वन मंडलाधिकारी का स्थल अवलोकन (निरीक्षण टिप्पणी के रूप में) परियोजना विशिष्ट हेतु जो कि निरीक्षण तथा विशिष्ट अनुशंसा के दौरान प्रपत्र में प्रदाय किये गये से भिन्न हो, तो विवरण	अनुशंसा भिन्न नहीं है।	
	(3) मुख्य वन संरक्षक) का स्थल अवलोकन (निरीक्षण टिप्पणी के रूप में) परियोजना विशिष्ट हेतु जो कि निरीक्षण तथा विशिष्ट अनुशंसा के दौरान प्रपत्र में प्रदाय किये गये से भिन्न हो, तो विवरण	प्रस्तावित क्षेत्र 40.00 हे. से कम होने के कारण मुख्य वन संरक्षक का स्थल निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।	
10	प्रस्ताव के पार्ट-1 एवं पार्ट-2 (आनलाईन) में शामिल तथ्यों का विवरण :		
	1. क्षेत्र की टोपोग्राफी	अनड्युलेटेड	
	2. भू-विज्ञान (Geology)	कंकड़िली एवं पत्थरीली है	
	3. ढाल (स्लोप)	हल्के ढलान	
	4. मृदा की गहराई/अपर्दन संवेदनशीलता	न्यूनतम संवेदनशील	
11	वनस्पतियों का विवरण		
	1. प्रजातियवार संयोजन (Composition) (वैज्ञानिक नामों सहित)	कंडिका क्रमांक- 7 के Annexure-7.1 में संलग्न है।	20 से 21 तक
	2. घनत्व एवं इको-क्लास	0.2 से 0.4 इको क्लास I साईट क्वालिटी IV A	
	3. परियोजना में प्रभावित वृक्षों की संख्या (30 से.मी से कम गोलाई की श्रेणी में आने वाले वृक्षों की संख्या का संक्षिप्त विवरण)	30 से.मी. से कम - 21 30 से.मी. से ज्यादा- 475 कुल - 495	50 से 51 तक
	4. वृक्षों की संख्या अर्थात् पुराने वृक्ष (आम बरगद, फाइकस इत्यादि) जो विशेष रूप से सड़क चौड़ीकरण के दौरान संरक्षित रखे जा सकें	निरंक	
12	वन्य प्राणी		
	1. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण, बायोस्फीयर रिजर्व, टायगर रिजर्व, एलीफैंट कारीडोर इत्यादि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का विवरण)	नहीं है।	

	2. संबंधित वन मंडलाधिकारी का परियोजना स्थल को संरक्षित क्षेत्र से बाहर दर्शाने हेतु प्रमाण पत्र	संलग्न है	88,101
	3. क्या क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 10 कि मी की दूरी के अंदर स्थित है।	नहीं है।	
	4. क्या भारत भासन ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत Eco-sensitive Zone को अधिसूचित किया है?	नहीं है।	
	5. क्या वनस्पति एवं जीव की कोई दुर्लभ प्रजाति उस क्षेत्र में पाई जाती है, अगर हां तो उसका विवरण?	नहीं है।	
	6. वन्यप्राणी अधिनियम, 1972 के अनुसूची-1 की प्रजातियों का विवरण, अगर कोई हो तो	नहीं है।	
	7. मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक की टिप्पणी	लागू नहीं है।	
	8. संबंधित वन मंडलाधिकारी का परियोजना स्थल को संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 कि. मी. की दूरी से बाहर/अंदर दर्शाते हेतु प्रमाण पत्र	कंडिका क्रमांक के 32 में संलग्न है।	88,101
13	1. क्या कोई संरक्षित पुरातात्विक/धरोहर स्थल (Heritage)/रक्षा संस्थान (Establishment) या कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक उस क्षेत्र में स्थित है?	नहीं है।	
	2. संबंधित वन मंडलधिकारी का संरक्षित पुरातात्विक/ धरोहर स्थल (Heritage)/रक्षा संस्थान (Establishment) इत्यादि की क्षेत्र में न होने संबंधी प्रमाण पत्र	कंडिका क्रमांक 27 में संलग्न है।	94 से 95 तक
14	1. क्या वन संरक्षण अधिनियम या भारतीय वन अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो उस कार्य का विवरण तथा कृत कार्य की अवधि एवं दोषी अधिकारीगण के विरुद्ध की गई कार्यवाही। क्या कार्य अभी भी प्रगति पर है?	नहीं	
	2. संबंधित वन मंडलाधिकारी का वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने संबंध प्रमाण पत्र	कंडिका क्रमांक 18 में संलग्न है।	72
15	1. क्या आवेदक संस्थान द्वारा पार्ट-1 के कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अनिवार्य एवं न्यूनतम है ? अगर नहीं, तो आयटमवार अनुशंसित क्षेत्र (विकल्प क्षेत्रों के विवरण की जांच सहित)	न्यूनतम है।	
	2. संबंधित वन मंडलाधिकारी का वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता संबंधी प्रमाण पत्र	कंडिका क्रमांक 10 में संलग्न है।	34
16	क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	कंडिका क्रमांक 11 में संलग्न है।	35 से 42

	अंतर्गत स्वीकृति अपेक्षित है?		तक
17	वैकल्पिक वृक्षारोपण		
	1. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिन्हांकित भूमि की वैधानिक स्थिति	बिगड़े हुए आरक्षित वन भूमि	
	2. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिन्हांकित गैर वन भूमि/बिगड़े वनभूमि का विवरण लगे हुए वन से उसकी दूरी पैच की संख्या एवं प्रत्येक पैच का आकार	कक्ष क्रमांक 1845 पैच की संख्या – 01 पैच का आकार – पोलिगान	
	3. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिन्हांकित गैर वन भूमि/बिगड़े वन भूमि एवं लगे हुए वन की सीमा का दर्शाने हेतु नक्शा	संबंधित नक्शा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना कंडिका क्रमांक 16 में संलग्न है।	64
	4. विस्तृत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना जिसमें रोपण की जाने वाली प्रजातियां क्रियांवयन, समय सारणी ,लागत ब्यौरा इत्यादी शामिल हो।	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना कंडिका क्रमांक 16 में संलग्न है।	55 से 69 तक
	5. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल वित्तीय परिव्यय(Outlay)	रु 96,06,213.00 /—	
	6. वृक्षारोपण एवं प्रबंधन के नजरिये से वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का सक्षम अधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र	वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का सक्षम अधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र कंडिका क्रमांक 17 में संलग्न है।	70 से 71 तक
	7. वैकल्पिक वृक्षारोपण का व्यय वहन करने हेतु आवेदक संस्थान विभाग का वचन पत्र	वचन पत्र कंडिका क्रमांक 09 में संलग्न है।	33
	8. गैर वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए अनुपलब्धता संबंधी मुख्य सचिव छ. ग. शासन का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा कंडिका क्रमांक 21 में संलग्न है।	75 से 79 तक
18	मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र कंडिका क्रमांक 36 में संलग्न है	127
19	जल ग्रहण क्षेत्र उपचार (CAT)		
	1. कुल जल ग्रहण क्षेत्र (हे.)	लागू नहीं है।	
	2. कुल कल्चरल कमांड ऐरिया(हे)	लागू नहीं है।	
	3. वित्तीय प्रावधान	लागू नहीं है।	
20	अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 का परिपालन)		
	1. क्या MoEF&CC के दिशा निर्देश दिनांक 05.07.2013 में निर्धारित प्रावधानों को जिला कलेक्टर ने प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया है।	हाँ, जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र कंडिका क्रमांक 34 में संलग्न है	104
	2. क्षेत्र एवं ग्राम सभा की संख्या जिसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया है	बड़े बचेली, नगर पालिका परिषद संख्या –01	104 से 124 तक
	3. ग्राम सभा के प्रस्ताव/वन अधिकार समितियों का कार्यवाही विवरण	कंडिका क्रमांक 34 में संलग्न है।	106 से 124 तक
	4. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छ.ग.शासन, वन विभाग का पत्र) क्रमांक/एफ-5-20/2017/10-2 दिनांक (12.01.2010)	कंडिका क्रमांक 34 में संलग्न है।	97
	5. अनुविभाग स्तरीय वनाधिकार समिति का	कंडिका क्रमांक 34 में संलग्न है।	106

	कार्यवाही विवरण		
	6.जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का कार्यवाही विवरण		
	परीक्षण किये गये वैकल्पिक एलाइन्गमेंट का विवरण		
21	1. प्रस्तावित विकल्प को चयन करने का औचित्य (लीनियर प्रोजेक्ट)	विस्तृत औचित्य संलग्न है।	143 से 144
	2. अन्य विकल्पों को नामंजूर करने के कारण (लीनियर प्रोजेक्ट)	संलग्न है	143(अ) से 143(ब),
	3. गैर वन / शासकीय गैर वनभूमि के परीक्षण का विवरण एवं प्रतिवेदन (नान लीनियर प्रोजेक्ट)	लागु नहीं है	
	4. परियोजना को वन क्षेत्र में चुनने की अनिवार्यता का औचित्य	स्थल विशेष परियोजना है।	
	5. गैर वन / राजस्व भूमि का अनुपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र	स्थल विशेष परियोजना है।	
	परियोजना विशिष्ट (Specific) विवरण	संलग्न है	
22	1. RoW मौजूदा एवं प्रस्तावित (लीनियर प्रोजेक्ट)	30 मीटर	
	2. Horizontal एवं Vertical Cross sectional नक्शा (लीनियर प्रोजेक्ट)	संलग्न है	172
	3. RoW में औषधीय पौधों की रोपण योजना का क्षेत्रफल एवं विवरण (ट्रांसमिशन लाईन एवं पवन ऊर्जा परियोजना हेतु)	लागु नहीं है	
	4. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा 3 विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6. CHC022/2010-BHO/934 दिनांक 24.05. 2010)	लागु नहीं है	
	5. जल मग्न क्षेत्र, कमाण्ड क्षेत्र, बांध की ऊंचाई, FRL, DRL इत्यादि (सिंचाई/जल विद्युत परियोजना हेतु)	लागु नहीं है	
	6. खनिज पट्टा की वैधता, पट्टा क्षेत्र (वन + गैर वन), Total proven reserve, वार्षिक निष्कर्षण (MTPA), वन स्वीकृति की शर्तों का परिपालन, खनन योजना, प्रगति शील खदान समापन योजना (अगर पूर्व अनुमोदन प्राप्त है), रिक्लेमेशन (अगर हो तो) की स्थिति, (केवल खनिज परियोजनाओं के	लागु नहीं है	

	लिए)																	
	7. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	लागु नहीं है।																
23	विस्थापितों का पुर्नवास																	
	1. प्रभावित परिवारों की संख्या	लागु नहीं है।																
	2. परिवारों की श्रेणी (Category)	लागु नहीं है।																
	3. पुर्नवास योजना का विवरण	लागु नहीं है।																
24	कास्ट बेनिफिट रेशियों	लागु नहीं है।																
	1. कुल लाभ	लागु नहीं है।																
	2. कुल लागत / वनों को क्षति	लागु नहीं है।																
	3. अनुपात	लागु नहीं है।																
25	परियोजना की कुल लागत	2500 लाख																
26	रोजगार क्षमता	70																
	1. निर्माण अवस्था/ अस्थायी (कुल श्रम दिवस)																	
	अ प्रत्यक्ष (कुशल,अर्द्धकुशल एवं अकुशल (श्रम दिवस)																	
	ब. अप्रत्यक्ष (कुशल,अर्द्धकुशल एवं अकुशल) (श्रम दिवस)																	
		<table><tr><td></td><td>प्रत्यक्ष</td><td>अप्रत्यक्ष</td></tr><tr><td>कुशल</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>अर्द्धकुशल</td><td>1</td><td>10</td></tr><tr><td>अकुशल</td><td>1</td><td>30</td></tr><tr><td>कुल</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> कुल श्रम दिवस= 50 x 315 = 15750 (एक वर्ष के लिए)		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुशल	3	5	अर्द्धकुशल	1	10	अकुशल	1	30	कुल	5	45	
	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष																
कुशल	3	5																
अर्द्धकुशल	1	10																
अकुशल	1	30																
कुल	5	45																
	2. निर्माण पश्चात/ स्थायी (कुल श्रम दिवस)																	
	अ प्रत्यक्ष (कुशल,अर्द्धकुशल एवं अकुशल (श्रम दिवस)																	
	ब. अप्रत्यक्ष (कुशल,अर्द्धकुशल एवं अकुशल) (श्रम दिवस)																	
		<table><tr><td></td><td>प्रत्यक्ष (स्थायी)</td><td>अप्रत्यक्ष (बाहरी स्रोत)</td></tr><tr><td>कुशल</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>अर्द्धकुशल</td><td>7</td><td>3</td></tr><tr><td>अकुशल</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>कुल</td><td>20</td><td>15</td></tr></table> प्रत्यक्ष श्रमदिवस (नियमित संचालन और रखरखाव) = 20 x 315 = 6300 प्रति वर्ष अप्रत्यक्ष श्रम दिवस (बाहरी स्रोत से प्रमुख रखरखाव) = 15 x 30 = 450 प्रति वर्ष कुल श्रम दिवस= 6300 + 450 = 6750 श्रम दिवस प्रति वर्ष		प्रत्यक्ष (स्थायी)	अप्रत्यक्ष (बाहरी स्रोत)	कुशल	4	3	अर्द्धकुशल	7	3	अकुशल	9	9	कुल	20	15	
	प्रत्यक्ष (स्थायी)	अप्रत्यक्ष (बाहरी स्रोत)																
कुशल	4	3																
अर्द्धकुशल	7	3																
अकुशल	9	9																
कुल	20	15																

27	जिले की रूपरेखा (Profile) 1. जिले की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2. कुल वन क्षेत्र/वन मंडलों के अधीन वन क्षेत्र 3. 1980 से कुल व्यपवर्तित क्षेत्र एवं प्रकरणों की संख्या 4. 1980 से निर्धारित वैकल्पिक वृक्षारोपण अ. वन भूमि ब. वन भूमि पर दाण्डिक वैकल्पिक वृक्षारोपण स. गैर वन भूमि 5. आज की स्थिति में वैकल्पिक वृक्षारोपण की प्रगति अ. वन भूमि ब. वन भूमि पर दाण्डिक वैकल्पिक वृक्षारोपण स. गैर वन भूमि	3410.500 वर्ग कि.मी 1710.685 वर्ग कि.मी. 3217.624 हे0 कुल व्यपवर्तित क्षेत्र एवं प्रकरणों की संख्या-20 8647.142 हे. — — —	
----	--	---	--

(यह चेक लिस्ट भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के पत्र दिनांक 27.07.2016 के आधार पर है)


V. Ajit Kumar
Project Manager
Slurry Pipe Line Project
NMDC Ltd., Jagdalpur